महत्वपूर्ण

संख्या- 104/2017/2298 /71-1-2017-जी-94/2017

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

2- निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ।

3- कुलपति,
उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई इटावा।

4- कुलपति
के0जी0एम0यू0 लखनऊ।

5- निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।

6- निदेशक,
सुपर स्पेशिलियटी बाल चिकित्साल एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।

7- निदेशक,
गर्वनमेन्ट इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साईसेज, ग्रेडर नोयडा।

8- निदेशक,
कैंसर संस्थान, एवं हास्पिटल लखनऊ।

9- निदेशक,
सी0बी0एम0आर0,
उ0प्र0, लखनऊ।

10- निदेशक,
हृदय रोग संस्थान, कानपुर।

11- निदेशक,
जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।

12- प्रधानाचार्य,
समस्त राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 18 अगस्त , 2017

विषयः- **चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानो में साफ-सफाई की व्यवस्था के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानो में साफ-सफाई की व्यवस्था उचित नही पायी जा रही है। राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानो में साफ-सफाई न होने से जहॉ एक ओर बीमारियॉ अधिक बढ़ वही दूसरी मरीजों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यदि साफ-सफाई की व्यवस्था उचित होगी तो आमजन के साथ-साथ मरीजों को भी उचित व्यवस्था प्राप्त हो सकेगी और बीमारियों पर भी नियंत्रण हो सकेगा। आप भली-भॉति अवगत है कि साफ-सफाई की व्यवस्था वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में एक है अत: चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत राजकीय मेडिकल कालेजों/ संस्थानो/स्वायत्शासी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में साफ-सफाई की व्यवस्था हेतु निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये:-

1) राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानो की बाउण्ड्रीवाल, गेट तथा भवनो एवं खिड़की दरवाजो की मरम्मत के साथ-साथ रंगाई-पुताई का कार्य कराते हुए वार्डो में लगे पंखो की सफाई तथा वास-बेसिन शौचालय को स्वच्छ रखने की व्यवस्था की जाय, इसके अतिरिक्त मेडिकल कालेज परिसर में लगे हैण्ड पम्पो को क्रियाशील किया जाय तथा नाली एवं नालियों की सफाई सुनिश्चित की जाय ताकि भविष्य में कोई चूक न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2) रोगियों हेतु उपलब्ध बेड्स की पेन्टिंग के साथ-साथ गद्दे बेडशीट, तकिये के कवर इत्यादि की सफाई का कार्य समय-समय पर कराया जाये।
3) रोगियों के भोजन की व्यवस्था के लिए चिकित्सालय के किचन में साफ-सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाये तथा किचन में कार्यरत स्टाफ को जागरूक करते हुए पर्याप्त शुद्ध/स्वच्छ भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। भोजन की व्यवस्था को मात्र संबंधित किचन स्टाफ के भरोसे न छोड़ा जाये। किचन प्रभारी द्वारा समय-समय पर स्वयं निरीक्षण भी किया जाये तथा कमियों को दूर किया जाना सुनिश्चित करे।
4) राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानो में निष्प्रयोज्य सामग्री को जगह-जगह न रखा जाय, निष्प्रयोज्य सामग्री रखने की व्यवस्था एक ही स्थान पर की जाये तथा तत्काल उसका निस्तारण नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
5) राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानो में लगे कूलर एवं आस-पास नालियों में पानी का ठहराव न होने दिया जाये, ठहरे हुए पानी में मच्छर आदि अधिक पैदा होते है अत: कूलर एवं नालियों के पानी की सफाई समय-समय पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
6) राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानो में उपयुक्त स्थान पर रोगियों एवं उनके तीमारदारो के बैठने के लिए बैंच इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
7) राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानो के परिसर में खाली भूमि पर नीम का पौधारोपण अधिक से अधिक मात्रा में किया जाय ताकि नीम के प्राकृतिक गुणो का लाभ रोगियों को पूर्ण रूप से मिल सके। वृक्षारोपण के समय इस कार्य हेतु वन विभाग तथा जिला उद्यान अधिकारी से सम्पर्क कर समय से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
8) साफ सफाई की व्यवस्था का समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाय, यदि उसमें कोई कमियॉ पायी जाती है तो उसे तत्काल दूर कराया जाये। साफ सफाई की लॉग बुक का निरीक्षण और उसमें पायी गई कमियों का निराकरण किया जाये।
9) जनपद में कृपया स्थापित स्थानीय निकायों यथा नगर निगम, नगरपालिका तथा ग्राम पंचायतों से समन्वय स्थापित करते हुए माह में एक बार सफाई अभियान सुनिश्चित किया जाये।

2- कृपया उपरोक्त निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीया,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:- 104/2017/2298/71-1-2017 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in